



फर्द अहकाम

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर ग्रामीण

रिलायन्स एसोटे रिकन्सट्रक्शन बनाम राजकुमार शर्मा

केस संख्या 155/2024 (सरफेसी एक्ट)

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा का विस्तृत रूप	विशेष विवरण
28-08-2024	<p>पत्रावली पेश हुई । वकील प्रार्थी उपस्थित उपस्थित है। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र को आगे नहीं चलाने का कथन करते हुये विद्रो किया है। अतः वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-14 सरफेसी एक्ट को विद्रो किया जाने से इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम हो।</p> <p style="text-align: center;"> <b>जिला मजिस्ट्रेट</b> (जयपुर) (ग्रामीण)</p>	<p>Withdraw  28/08/24</p>